मध्यप्रदेश शासन,
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय भोपाल

क्रमांक 470/सउशि/नि.का/09 भोपाल, दिनांक 24-9-2009

प्रति,

1– **कलेक्टर, समस्त,**
मध्यप्रदेश।

2– पुलिस अधीक्षक समस्त,
मध्यप्रदेश।

3– कुलसचिव समस्त,
विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।

4– अतिरिक्त संचालक समस्त,
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।

5– प्राचार्य समस्त,
शासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।

विषयः–छठवें वेतनमान को लेकर विश्वविद्यालयीन एवं महाविद्यालयीन शिक्षक संघ तथा विश्वविद्यालयीन कर्मचारियों की हड़ताल के संबंध में।

–:0:–

माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा प्रकरण क्रमांक 9821/2009 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 24.09.09 के अनुसार प्रदेश के विश्वविद्यालयीन एवं महाविद्यालयीन शिक्षकों एवं प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कार्यरत गैर शिक्षकीय कर्मचारियों को यह आदेशित किया है कि वे हड़ताल नहीं करेंगे तथा आगामी कार्य दिवस, 25.09.09 से नियमित कार्य प्रारंभ करेंगे तथा शासन को यह निर्देशित किया है कि दिनांक 25.09.09 से समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कक्षाओं का संचालन सुनिश्चित करें।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार समस्त कुलसचिव एवं प्राचार्य कृपया हड़ताल पर गये प्राध्यापकों से उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने का अनुरोध करें। यदि उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया जाता तो उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव 25.09.09 को ही दोपहर 2.00 बजे तक शासन को भिजवाने का कष्ट करें।

साथ ही अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य से संपर्क कर जिले की प्रतीक्षा सूची में से अतिथि विद्वानों को आमंत्रित कर कक्षाएं प्रारंभ करवाना सुनिश्चित करें।

कृपया की गयी कार्यवाही की जानाकरी 25.09.09 को ही ई–मेल से प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन सुनिश्चित किया जा सके।

24.9.2009

(आशीष उपाध्याय)
सचिव एवं आयुक्त
उच्च शिक्षा विभाग,

पृ. क्रमांक 471 / सउशि / नि.का / 09 भोपाल, दिनांक 24-9-09

प्रतिलिपिः–

1– कुलपति समस्त, मध्यप्रदेश।
2– संभागायुक्त समस्त, मध्यप्रदेश।
3– जोनल महानिरीक्षक पुलिस, समस्त, मध्यप्रदेश।

24.9.2009

सचिव एवं आयुक्त
उच्च शिक्षा विभाग,